न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 26/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/535

भंवरलाल पुत्र भागीरथ, निवासी वार्ड नं. 15, रेलवे स्टेशन रोड़, एस.बी.आई. बैंक के पास अनूपगढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 19.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के कार्यालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के सूचना का अधिकार के तहत आवेदन अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित किया था। वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। ना ही पत्र का कोई जवाब दिया गया हैं। प्रार्थी को वांछित सूचना शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए निवेदन किया।

प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा कलक्टर श्रीगंगानगर के द्वारा अपील जिला कलक्टर अनूपगढ़ के क्षेत्राधिकार की होने के कारण इस कार्यालय को प्रेषित की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से टिप्पणी तलब की गयी। लोक सूचना अधिकारी(अति. जिला कलक्टर)कलेक्ट्रेट श्रीगंगानगर के पत्रांक/आरटीआई/2024/1 दिनांक 02.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित कर निवेदन किया गया हैं कि वांछित सूचना कार्यालय जिला कलक्टर, अनूपगढ़ से संबंधित होने के कारण आवेदन धारा 6(3) के तहत ट्रांसफर करने से अवगत करवाया। पत्र के साथ अपीलार्थी का आवेदन हस्तांतरित करने के पत्र क्रमांक/635–636 दिनांक 26.09.2023 की प्रति प्रस्तुत की। इस पत्र लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ से टिप्पणी तलब की गयी। अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के पत्रांक/आरटीआई/2024/15 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी भंवरलाल का आरटीआई आवेदन/पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ हैं। इस पर लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को अपीलार्थी का आवेदन लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट अनूपगढ़ को प्रेषित किये जाने संबंधित साक्ष्य अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्रांक/आरटीआई/2022/87 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा पत्र प्रेषित किये जाने संबंधि पंजिका, रजि. रसीद की प्रति प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी का आवेदन लोक प्राधिकारी के कार्यालय को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं। अतः अपील स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं। लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर अपीलार्थी के आवेदन पत्र की तलाश कर आवेदन पत्र को निस्तारित करते हुए अपीलार्थी को सूचित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:46:39 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)